



फर्द अहकाम

हिमाशु वगै०

बनाम रामेश्वर वगै०

पालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० 33/2025

क्र०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.03.2025	<p>अधिवक्ता श्री राम सिंह द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टे हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर बबपुर </p>	
	23.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण की आज्ञा न्यायालय से प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवे लगेगी थी। आवेदक आज्ञा लगवाने के उपरान्त भी वादीगण के न्यायालय से हाजिर नहीं जाने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आरबि-9 क्रिमा-3 जा० प्रि० के तहत समय हाजरी व भदम घंटी में खरिज की जाती है। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर नंबर ले कम होकर सखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर बबपुर </p>	